



**शाहजहाँपुर पुलिस**



**प्रेस नोट-सहारनीय कार्य 16/03/2024**

**थाना खुदागंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी**  
**थाना खुदागंज पुलिस द्वारा गौ तस्कर को किया गया गिरफ्तार**

दिनांक 10.03.2024 को थाना खुदागंज क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम कुरगाँव के जंगल गौ तस्करों द्वारा गौकशी की घटना की गई थी इस घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 10.03.2024 को मु0अ0स0 98/2024 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश बनाम 06 नामित व 10- 15 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करने हेतु तत्काल टीम गठित की गयी थी। श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार व श्री मनोज कुमार अवस्थी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में व श्री प्रयांक जैन क्षेत्राधिकारी तिलहर पर्यवेक्षण में थाना खुदागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश मय उ0नि0 राजेन्द्र सिंह मय हमराहीगण के भ्रमण क्षेत्र व तलाश वाँछित वारण्टी, रोकथाम गौकशी अपराधीगण में मामूर थे तो जरिए मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0स0 98/2024 व 100/24 का वाँछित अभियुक्त टैनी उर्फ इबरार को हसनापुर पुलिया से करीब 20 कदम की दूरी पर अकबरी को जाने वाले रास्ते पर वहद ग्राम फुलवईया पर एक अदद नाजायज अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. टैनी उर्फ इबरार पुत्र गिल्लू बक्श निवासी रडैता थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत

**पंजीकृत अभियोग**

1. मु0अ0स0 98/2024 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश
2. मु0अ0स0 100/2024 धारा 307/504/34 भादवि,(पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
3. मु0अ0स0 103/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम

**बरामदगी का विवरण**

4. अभियुक्त टैनी उर्फ इबरार उपरोक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर

**पुलिस पार्टी का विवरण**

1. प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह
2. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह
3. हे0का0 240 मौ0 सलीम
4. का0 2047 विषु मलिक
5. का0 2681 रविन्द्र